UPAL010059182026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2739 सन् 2024

1. लक्ष्मणपाल पुत्र श्री धारा सिंह, निवासी- डूगर राजपुर, छाजपुर, जनपद-मुजफ्फर नगर,

2. राहुल कुमार पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी- गांव डूगर, पारसोली, जनपद-मुजफ्फर नगर,

3. रवि कुमार उर्फ मिंटू पुत्र श्री मेनपाल, निवासी- 386 डूंगर राजपुर छाजपुर, जनपद मुजफ्फर नगर, ...अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजक

आदेश

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण लक्ष्मणपाल, राहुल कुमार व रवि कुमार उर्फ मिंटू **द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–586/2024, धारा 376 डी, भारतीय दंड संहिता, थाना क्वार्सी,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किये गये।

2. संक्षेप में अभियोजन केस निम्न प्रकार है कि दिनांक 20/11/2019 को ससुर मेनपाल पुत्र धारा सिंह, ससुर रणपाल सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी गव इलाहाबास, (शुक्रताल) मुजफ्फरनगर वादी के घर आये और दो तीन दिन रुके। वादी और वादी का भाई एक जमीन खरीद रहे से इसी वजह से घर पर अलमारी में 05 लाख 50 हजार रूपये रखे थे। इन दोनों लोगों ने चोरी कर लिये और दिनांक 22/11/2019 को दोनों लोग चले गये। किसी कारणवश जमीन का सौदा नहीं हुआ और वो पैसे वादी ने नहीं देखे। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने पर दिनांक 16/04/2020 को पैसे की जरूरत पड़ने पर जब वादी ने रूपये निकालने के लिये अलमारी खोली वादी को ज्ञात हुआ पैसे वहाँ नहीं है। वादी ने अपने पति नीरज से पूछा पैसों के बारे में तो उन्होंने बताया जब वह घर वापस आया था तो पापा जी और मामा जी रणपाल घर पर नहीं थे और अलमारी से पैसे गायब थे। प्रार्थिया ने

उन्हें फोन किया तो उन्होनें कहा हाँ हम रूपये निकाल कर ले गये है। वादी ने ससुर मेनपाल के नं0-9761070982 पर फोन कर पूछा पैसों के बारे में तो बोले लॉकडाउन खुलते ही हम दे देंगे। हमें जरूरत थी तो हम ले आये। वादी ने रणपाल के नं- 9639676011 पर भी फोन करके पूछा तो उन्होनें कह दिया हमें जरूरत थी हम ले गये वापस कर देंगें लकडाउन खुलने के बाद जब वादी ने पैसे मांगे तो वह लोग टालमटोल करने लगे। मार्च 2022 में प्रार्थिया अपने पैसे लेने गव डूंगर थाना फुगाना, मुजफ्फर नगर अपनी ससुराल गयी तो बहाने बाजी करने लगे वादी को पड़ौसी घर लक्ष्मण पाल की बहू अंशू उर्फ गुड्डून पत्नी राहुल अपने घर बुलाकर ले गयी और बोला तुम्हारे पैसों का हिसाब करना है चलो वहाँ पर लक्ष्मण पाल, रवि उर्फ मिंटू, कृष्णा देवी, राहुल मौजूद थे। कृष्णा देवी ने बोला इसके पैसों का इकट्ठा हिसाब कर दें मिंटू और बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया राहुल और लक्ष्मण पाल ने वादिया के हाथ पैर पकड़ लिये और रवि उर्फ मिंटू ने वादिया के साथ बलात्कार किया और बोला तुम्हारी शादी ही पैसों के लिये मानी थी और लक्ष्मण पाल ने कहा तुझे सबकी लुगाई बनके रहना पड़ेगा हम सबके साथ सोना पड़ेगा। इस सब घटना को अंशू ने जंगले में से अपने फोन में रिकार्ड कर लिया 4 दिन मुझे बंधक बनाकर रखा वादिया के साथ इन सभी ने बारी बारी बलात्कार किया और बोला मुँह खोला तो तेरी ये वीडियों वायरल कर देंगें। हमारे घर में विधायक, सांसद सब है और तेरे अलीगढ़ में हर थाने में हमारे रिश्तेदार है। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकती सफेद रंग की बोलेरो गाडी नं0- यू.पी. 17 ई 2005 में डालकर मिंटू उर्फ रवि, राहुल 2 लडके और थे जिन्हें मैं नहीं जानती लाये और अलीगढ़ के नजदीक हाईवे पर सुनसान जगह पर फेंक कर भाग गये। प्रार्थिया ने वमुश्किल अपनी माँ को फोन करके बताया तब वादिया के भाई एवं अन्य रिश्तेदार वादिया को उठाकर ले गये वादिया ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी घरवालों को दी लोकलाज के डर से और इन लोगों के डर से हमने कोई एफआईआर नहीं करायी। तब से ये लोग लगातार वादिया से पैसे ऐंठ रहे है जून 2022 में वादिया ने पैसे देने से मना कर दिया तो अंशू उर्फ गुड्डून ने दिनांक 15/03/2023 को फोन नं 9759940771 से विडियो वायरल करने की धमकी दी वादिया ने कहा उसके पास और पैसे नहीं है अब तो उसमें वादिया के भाई विनय के नं0-6395019782 पर फोन करके पैसे मांगे। दिनांक 17 मार्च 2023 को इस नं0 8650484935 से वादिया को धमकाया एवं 97556229943 से वादिया से लगातार धमकियों मिल रही है उपरोक्त लोगों से वादिया व वादिया के परिवार को जान माल का खतरा है। प्रार्थिया ने दिनांक 27/03/202 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ को लिखित प्रार्थना पत्र बजरिये डाक भेजा मगर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई मजबूर होकर प्रार्थिया मा० न्यायालय की शरण में आयी है।

3. अभियुक्तगण की ओर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही विचाराधीन है और ना ही खारिज हुआ है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय में विचाराधीन नही है और ना ही खारिज हुआ है। मुकदमा वादिया के द्वारा उक्त मुकदमा अंतर्गत धारा 156 (3) सी०आर०पी०सी० में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ में पंजीकृत किया गया है। थाना पुलिस के द्वारा उक्त मुकदमा, मुकदमा

अपराध संख्या 586/2024 अंतर्गत धारा 380, 376 डी, 343, 506, 120 बी, में दर्ज किया गया है। मुकदमा वादिया के द्वारा उक्त घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्वयं बताया गया है कि प्रार्थीगण /अभियुक्तगण उसके रिश्तेदार है जिसमें मैनपाल ससुर है तथा रणपाल सिंह भी ससुर है तथा लक्ष्मण पाल तथा रवि, अंशु, राहुल, वादिया के पति के परिजन है। मुकदमा वादिया के द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में सन् 2023 में प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया था जबकि घटना मार्च, 2022 की बतायी जाती है तथा बलात्कार जैसी घटना की कोई भी दिनांक प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही की गयी है। थाना पुलिस के द्वारा उक्त मामले में पूरी विवेचना की गयी विवेचना के दौरान अंतर्गत धारा 161 व 164 सी०आर०पी०सी० व्यान पुलिस के द्वारा दर्ज किये गये थे जिसमें मुकदमा वादिया के द्वारा दोनो ही व्यानो में विरोधावास है तथा दोनो ही व्यान एक दूसरे का समर्थन नही कर रहे है। थाना पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान बलेन्द्र पुत्र जगमेर सिंह, राजेन्द्र मलिक पुत्र सुखबीर सिंह, तिरसपाल पुत्र भवर सिंह, ब्रजपाल पुत्र गंगाराम, सुभाष पुत्र वेद के व्यान दर्ज किये जिसमें सभी गवाहो ने मुकदमा वादिया के डूगर जाने से मना कर दिया कि वह कभी डूंगर गयी ही नहीं है उक्त मुकदमा सिर्फ द्वेष की भावना रखते हुए तथा अधिवक्ता होने का फायदा उठाकर दर्ज कराया गया है। पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये सभी तथ्यों पर सम्पूर्ण विवेचना की गयी जिसमें यह पाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज सभी तथ्य झूठे है तथा मनगढ़त कहानी पर आधारित है इसलिए पुलिस ने उक्त मुकदमें में अंतिम आख्या माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी। मुकदमा वादिया के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रोटेस्ट पिटिशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्टेट महोदय के द्वारा दिनांक 24.12.2025 को धारा 190 (1), बी, सी०आर०पी०सी० के तहत संज्ञान लेते हुए मैनपाल व रणपाल को अंतर्गत धारा 380 आई०पी०सी०, अभियुक्त लक्षमण पाल, रवि उर्फ मिन्टू तथा राहुल धारा 376 डी० आई०पी०सी० में तथा कृष्णादेवी को अंतर्गत धारा 498 ए में विचारण हेतु तलब किया गया तथा वाद की कार्यवाही को स्टेट केस के रूप में चलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। मुकदमा वादिया के द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंर्तजातीय विवाह तथा प्रेम विवाह किया जाना स्वीकार किया गया है तथा विपक्षीगण को अपने पति के परिजनो के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मुकदमा वादिया का पति नीरज मलिक अलीगढ़ में रहकर काम साथ करता था, अलीगढ़ में रहते हुए उसकी मुलाकात मुकदमा वादिया के हुई और मुकदमा वादिया के साथ शादी कर ली। इसकी कोई भी सूचना अभियुक्तगण के पास नही थी। नीरज मलिक से एक लम्बे समय तक फोन पर बात नही हुई तथा घर लौटकर नही आया तब दिनांक 17.03.2023 को एक रपट संख्या 44 अंकित करायी। मुकदमा वादिया के द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ और भी मुकदमें दर्ज करा रखे है। मुकदमा वादिया की उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त स्वतंत्र गवाहों द्वारा भी अपने-अपने बयान एवं गवाही में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि मुकदमा वादिया कभी भी अपनी ससुराल ग्राम डूंगर नहीं आई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की कथित घटना एवं लगाए गए आरोप स्वयं संदेहास्पद एवं असत्य प्रतीत होते हैं। मुकदमा वादिया ने स्वयं कहा है कि उसके साथ घटना डूंगर, जनपद मुजफ्फरनगर में हुई है इसलिए कथित घटना

एवं उससे संबंधित समस्त तथ्य जनपद अलीगढ़ की क्षेत्राधिकार सीमा (Jurisdiction) के अंतर्गत नहीं आते हैं, और वर्तमान न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अभियोजन की संपूर्ण कहानी अविश्वसनीय, निराधार एवं विधि विरुद्ध प्रतीत होती है उन्होंने केवल अपने अधिवक्ता होने का फायदा उठाया है। नीरज मलिक के खिलाफ जो मुकदमे बागपत में चल रहे है उनमें भी नीरज अपनी तारीखो को नहीं कर रहा है और ना ही उसका कोई अता पता है। मुकदमा वादिया के द्वारा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को पूरी तरह से झूठे मुकदमे में फसाकर अपने अधिवक्ता होने का फायदा उठाकर माननीय न्यायालय से अंतर्गत धारा 190 (1) (बी) सी०आर०पी०सी० में तलब कराया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण पूर्णतः बेगुनाह है। मुकदमा वादिया के द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है और उक्त रिपोर्ट में देरी का कोई भी कारण नही दर्शाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्तगण को मनगढ़त कहानी बनाकर मुकदमा वादिया के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये निर्देश व आदेशों का पूर्णतः पालन करेगें। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्णतः वेगुनाह है तथा सम्भ्रान्त परिवार व कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व में सजायाफ्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान अग्रिम जमानत किसी को डरायेगा व धमकायेगे नहीं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान अग्रिम जमानत किसी साक्ष्य के साथ छेडछाड नही करेगें। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के दौरान श्रीमान जी द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद है इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि पर अपनी विश्वसनीय अग्रिम जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्त के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार पीड़िता का अंतर्जातीय विवाह हुआ था। जिससे ससुरालीजन खुश नहीं थे। दिनांक 20.11.2019 को पीड़िता का ससुर मेनपाल व रणपाल सिंह पीड़िता के घर आये और दो दिन

रुके। पीड़िता और उसका भाई एक जमीन खरीद रहे थे इसके कारण घर पर अलमारी में पांच लाख पचास हजार रुपये रखे थे जो उक्त दोनों ने चोरी कर लिये और दिनांक 22.11.2019 को वापस चले गए। जमीन का सौदा न होनों के कारण उक्त पैसे पीड़िता द्वारा नहीं देखे गये। कोविड के कारण दिनांक 16.04.2020 को पैसे की जरुरत पड़ने पर जब रुपये निकालने के लिए अलमारी खोली तो वहां पैसे नहीं मिले। पीड़िता द्वारा अपने पति से पूछने पर पति द्वारा बताया गया कि जब वह घर पर वापस आया था तो पापा जी व मामा जी घर पर नहीं थे और अलमारी में से पैसे गायब थे। अभियुक्तगण द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह रुपये निकालकर ले गये है और लॉकडाउन खुलते ही दे देंगे। मार्च 2022 में पीड़िता अपने पैसे लेने अपनी ससुराल गयी तो बहानेबाजी करने लगे और पड़ोसी घर की लक्ष्मणपाल की बहू अपने घर पैसों का हिसाब करने के लिए बुलाकर ले गयी। जहां पर अभियुक्तगण लक्ष्मणपाल, रवि उर्फ मिंटू व राहुल का मौजूद होना कहा गया है और राहुल व लक्ष्मणपाल द्वारा पीड़िता के हाथ पैर पकड़ लिये और रवि उर्फ मिन्टू द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया। उक्त घटना को राहुल की पत्नी अंशू ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। 04 दिन पीड़ता को बंधक बनाकर रखा और इन सभी ने बारी-बारी से बलात्कार किया और बोला मुंह खोला तो तेरी ये वीडियो वायरल कर देंगे। अभियुक्तगण पीड़िता को सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। पीड़िता द्वारा बयान 161 सी०आर०पी०सी० में तहरीर में उल्लिखित कथन का समर्थन किया गया है। पीड़िता द्वारा बयान धारा 164 सी०आर०पी०सी० में भी अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार करने के कथन का समर्थन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि पीड़िता द्वारा मार्च 2022 में घटना की कोई तिथि अंकित नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा घटना को झूंठा पाते हुए प्रस्तुत प्रकरण में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी थी। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम आख्या को निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को तलब किया गया है। पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सहअभियुक्त मेनपाल के पुत्र से अंर्तजातीय प्रेम विवाह होने व अभियुक्तगण को अपने पति के परिवारीजन के रूप में स्वीकार किया गया। यह भी कहा गया है कि दौरान विवेचना यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2023 में जब सहअभियुक्त मेनपाल का पुत्र जोकि पीड़िता का पति है काफी समय तक घर नहीं आया तब मेनपाल द्वारा उसकी गुमशुदगी थाना फुगाना पर पंजीकृत करायी गयी थी और बाद में अपहरण का मुकदमा भी पीड़िता व उसके परिवारीजन के खिलाफ लिखाया था। इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य मुकदमेबाजी होना भी परिलक्षित हो रहा है। अभियुक्तगण में से लक्ष्मणपाल व राहुल का सम्बन्ध पिता व पुत्र का है व रवि कुमार पीड़िता के ससुर मेनपाल का पुत्र है, जिनके द्वारा सामूहिक बलात्कार करना दर्शित किया गया है। पीड़िता द्वारा अपना आंतरिक व बाह्य परीक्षण कराये जाने से इंकार किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **लक्ष्मणपाल, राहुल कुमार व रवि कुमार उर्फ मिंटू** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।-

1- अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास-पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक-एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए, दाखिल किये जायेंगे।

2- अभियुक्तगण किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेंगे और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होंगे।

3- अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे।

दिनांक–07.07.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

आशुलिपिक– कृतिका

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.07.07 16:27:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court